निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43/2022
दायरा दिनांकः–30.05.2022
निर्णय दिनांकः–30.5.25

उनवान

1. बाबूलाल आयु 62 वर्ष पुत्र मंगला जाति माली निवासी ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नि प्रेमचन्द जाति जाटव निवासी सालपुरा रोड छबडा
2. कल्पना पत्नि हरीश जाति जाटव निवासी सालपुरा रोड छबडा
3. रामकन्याबाई वर्ष पुत्री सुरजा जाति हरिजन निवासी ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट
निर्णय दिनांकः–30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जगदीश चन्द नागर– प्रार्थी
2. भगवान कृष्ण बलरिया – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम खोपर तहसील छबड़ा में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में भूमि खसरा नंबर 130 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 137 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 140 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 394 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा कुल चार किता 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 394 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी कम 1 ता 3 की भूमि खसरा नबर 393 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है तथा भूमि खसरा नंबर 393 के उत्तरी मेड़ से लगवां ग्राम खोपर से माल में आने जाने एवं ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का रास्ता स्थित है। जिसमें होकर समस्त ग्रामवासी निकलते चले आ रहे हैं तथा अपनी भूमियात को काश्त करते चले आ रहे है। भूमि खसरा नंबर 393 के लगवा दक्षिण दिशा में वादी की भूमि खसरा नंबर 394 स्थित है। भूमि खसरा नंबर 393 के मध्य होकर पूर्वजों के समय से वादी की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। जिसमें होकर वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज निकलते चले आ रहे थे तथा अपनी भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। भूमि खसरा नंबर 393 में स्थित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। भूमि खसरा नंबर 393 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा का खातेदार पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सूरज्या हरिजन था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री प्रतिवादी कम 3 रामकन्या का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ तथा प्रतिवादी कम 3 रामकन्या द्वारा उक्त भूमि में से हिस्सा 2/3 का बेचान प्रतिवादी कम 1 व 2 को किया गया है। प्रतिवादी कम 3 द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 को बेचान के समय व इससे पूर्व से ही निरन्तर रूप से भूमि खसरा नंबर 393 में स्थित रास्ते में होकर वादी निकलता चला आ रहा था तथा वर्तमान में निर्विवाद रूप से निकलता चला आ रहा था। प्रतिवादी कम 1 व 2 के पति एवं परिवार के लोग धनाढ्य एवं राजनैतिक लोग है, जो अपने राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग कर वादी की भूमि में आने जाने के रास्ते को पत्थरों का कोट कर बन्द करना चाहते हैं। जिसका प्रतिवादी कम । ता 3 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। वाद कारण दिनांक 25.05.2019 को पैदा हुआ, जब प्रतिवादी कम 1 व 2 एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैधानिक तरीके से भूमि खसरा नंबर 393 में स्थित रास्ते को पत्थरों का अस्थाई कोट बनाकर अस्थाई रूप से बन्द कर दिया है। वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 2 एवं उनके परिवार के सदस्यों से रास्ता खुलासा करने एवं पत्थरों का अस्थाई कोट हटाने को कहा तो प्रतिवादी कम 1 व 2 ने रास्ता खुलासा करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अतः यही दिनांक बिनायदावा कायम की जाती है। वादी काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी का पूरा परिवार खेती पर ही आश्रित है। वादी के पास भूमि खसरा नंबर 394 की सबसे बड़ी जोत है, जिससे पूरे परिवार का लालन–पालन होता है तथा वादी भूमि खसरा नंबर 393 में स्थित रास्ते में होकर ही अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा भूमि खसरा नंबर 393 की उत्तरी मेड पर होकर गांव से माल में आने जाने का आम रास्ता स्थित है। इसके बाद वादी भूमि खसरा नंबर 393 के मध्य पूर्व में स्थित रास्ते से अपनी भूमि में आता जाता रहता है। जिसे प्रतिवादी कम 1 व 2 ने बन्द कर दिया है। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने भूमि खसरा नंबर 393 में पूर्व में स्थित रास्ते को बन्द करने के कारण वादी की अपनी भूमि में आने जाने एवं खेती करने का रास्ता स्थाई रूप से बन्द हो गया है तथा वादी की भूमि खसरा नंबर 394 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रास्ता बंद हो जाने से वादी की भूमि पड़त रहने की पूरी–पूरी संभावना है। अगर वादी की जमीन पडत रह गई तो वादी का परिवार भूखों मर जाएगा। अतः भूमि खसरा नंबर 393 में पूर्व से स्थित रास्ते को खुलासा करवाकर रास्ते में होकर वादी अपनी भूमि में आने–जाने एवं काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का कानूनी रूप से अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 50 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2071–74 ग्राम पंचायत खोपर की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.06.2019 प्रार्थना पत्र खेत पर जाने का रास्ता खुलवाने बाबत् हल्का पटवारी खोपर की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 07.06.2019 पेश की गई। मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 18.06.2022 नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 131 नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 127 पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा में स्थित है। वादी की भूमि खसरा नम्बर 394 रकबा 11.16 बीघा भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 16.06 बीघा स्थित है तथा खसरा नम्बर 393 की उत्तरी मेड से लगवा खोपर से माल में आने जाने का रास्ता स्थित है खसरा नम्बर 393 के दक्षिण दिशा में प्रार्थी की भूमि है खसरा नम्बर 393 के मध्य में होकर पूर्वजों के समय से वादी की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है जिसमें होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज आते जाते थे। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादी क्रम 3 का हिस्सा 1/3 है खसरा नम्बर 393 का पूर्व खातेदार सूरजा रामकन्या द्वारा 2/3 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को बेचान कर दिया है प्रतिवादीगण रास्ते को पत्थरों को कोट कर बन्द कर दिया है जिसका कोई कानूनी अधिकारी नही है। प्रार्थी का उक्त रास्ते के अलावा आने जाने का ओर कोई रास्ता नही है पूर्व से स्थित रास्ते को खुलासा करवाने को प्रार्थी कानूनी रूप से अधिकारी है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 393 के मध्य पूर्व में स्थित रास्ते को खुलासा करवाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्थाई रूप से दर्ज करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी की एक अन्य भूमि विवादित भूमि खसरा नम्बर 394 के पास खसरा नम्बर 396 स्थित है वादी व उसके परिजन एवं महेन्द्र नाई के खेतो का रास्ता है जिसमें होकर प्रार्थी आता जाता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 392 की मेड पर होकर है प्रार्थी हमेशा भूमि खसरा नम्बर 396 व 392 की मेड पर होकर अपने खेत पर आता जाता है प्रार्थी व महेन्द्र नाई अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 393 में होकर नया रास्ता बनाना चाहता है। जिन्हे कोई वैधानिक अधिकारी नही है अप्रार्थी चन्द्रकला विधवा महिला है प्रार्थी उसकी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने की नियम है नया रास्ता बनाना चाहतें है प्रार्थी द्वारा कदीमी रास्ता बताया गया। कदीमी रास्ता का वाद धारा 251A RTA के प्रावधानों के अनुरूप नही आता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एक ही भूमि से दो रास्ते के बाबत् होने से चलने योग्य नही है दोनो प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा अलग–अलग कदीमी रास्ता बताया है जबकि अप्रार्थीगण की भूमि में कोई कदीमी रास्ता नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 127 के अनुसार प्रार्थी बाबूलाल पुत्र मंगला जाति माली के खातेदारी मे दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 50 में चन्द्रकला पत्नि प्रेमचन्द कल्पना पत्नि हरीश कुमार 2/3 एवं रामकन्या पुत्री सूरजा हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है नकल नक्शा ट्रेस ग्राम खोपर खसरा नम्बर 393 में के बीचों बीच लाल स्याही से कदीमी रास्ता दर्शाया गया है जो खसरा नम्बर 394 को जाता है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 393 में होकर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रास्ता चाहा गया है इससे सम्बन्धित एक वाद महेन्द्र कुमार बनाम चन्द्रकला भी रास्ते से सम्बन्धित विचाराधीन है दोनो प्रार्थना पत्रों में खसरा नम्बर 393 से रास्ता चाहा गया है ओर दोनो प्रार्थीगणो द्वारा अलग–अलग रास्त कदीमी बताया गया है प्रार्थी द्वारा रास्ता लेने से सम्बन्धित कोई अनुतोष नही है कदीमी रास्ता से आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने का अनुतोष चाहा है इस प्रकार के मामले के सम्बन्ध में आर0टी0एक्ट की धारा 251 के तहत स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस धारा के तहत समरी तारीके से रास्ते खुलवाने की कार्यवाही तहसीलदार से करवाई जा सकती है। अर्थात् प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर रिलीफ प्राप्त कर सकता है धारा 251क प्रावधान नवीन रास्ते के सम्बन्ध में है प्रार्थी द्वारा केवल चालु रास्ते का खुलासा कराने का अनुतोष चाहा गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)